संख्या:161/2026/654बु0वि0नि0/35-1-2026/35-1002/10/2025

प्रेषक,

अशोक कुमार राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) योजनान्तर्गत नामित नोडल जनपदों के नाम परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-148/2026/638बु0वि0नि0/35-1-2026/35-1002/10/2025, दिनांक11.09.2026 एवं शासनादेश संख्या-146/2026/640बु0वि0नि0/35-1-2026/35-1002/10/2025(पार्ट-1), दिनांक11.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) योजनान्तर्गत क्रमश: अनुदान संख्या-40 एवं 83 में जनपदवार फॉट निर्धारित कर जिलांश की धनराशि आंवटित करते हुए संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के निवर्तन पर रखा गया है।

2. उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा अपने पत्र संख्या-स0वि0प0/6016/2026-27, दिनांक 26.08.2026 के माध्यम से जनपद झांसी के स्थान पर जनपद जालौन को नोडल जनपद के रूप में नामित किये जाने की अपेक्षा शासन से की गयी है।

3. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद की उक्त अपेक्षानुक्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) योजनान्तर्गत जनपद झांसी के स्थान पर जनपद जालौन को नोडल जनपद एतदद्वारा नामित किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष-2026-27 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से रू0 277.77 लाख तथा अनुदान संख्या-40 से रू0 648.14 लाख की धनराशि जिलाधिकारी, जालौन को तत्काल अंतरित करने का कष्ट करें।

4. उक्त शासनादेश संख्या-148/2026/638बु0वि0नि0/35-1-2026/35-1002/10/2025, दिनांक11.09.2026 एवं शासनादेश संख्या-146/2026/640बु0वि0नि0/35-1-2026/35-1002/10/2025 (पार्ट-1), दिनांक11.09.2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर, (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. जिलाधिकारी, जालौन।
9. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त सम्बन्धित जनपद ।
12. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
14. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जालौन।
15. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) अनुभाग ।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।